गरीब समाज स्वराज पार्टी

चन्द्र सैन (भारती)

सस्थापक एव राष्ट्रीय अध्यक्ष मो0 . 9568743404, 9760214290 निवास एव कार्यालय शाहपुर (तिगरी) डा० व थाना मझोला जनपद-मुरादाबाद-244001 (उ०प्र०) भारत

पत्राक 36/2023

गरीब वही जिसपर शिक्षा, सामधन, मकान नही ।

दिनाक 9 - 11 - 2023

येवा में

Sh. Bined kumar secretary.

Election Expenditure Division.

Room No. 321A, Third Floor,

Nirvachan sadan, Ashoka Road,

New Delhi-11 0001-

विषय - 3 जावरवर 2023 की जारी पत्रांक जर्मा 796/ जीई औ - 8-15/ 2-2018 के Grarce में/

महादल

आपका पादर अवगत करामा जाता है। के अरीव समाड़ स्वराव पार्टी की दिनांच 30-09-2023 तक किसी भी त्याकि/कम्पनी व्यादा कोई भी slectoral Bonds के रूप में अंद्रादान नहीं दिया गया है।

मात्र वन्वान्ध्य पद्मान की मोर्ट हरेर कापी



स्पीड पोस्ट द्वारा

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

सख्या 7-96/सीईओ-8-15/2-2018

दिनाक 03 नवम्बर, 2023

सेवा मे

अध्यक्ष / महासचिव / कोषाध्यक्ष समस्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनेतिक दल उत्तर प्रदेश।

विषय – Submission of details in respect of electoral bonds- Hon'ble Supreme Court
Order dated 2nd November, 2023-Regarding

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पन्न सख्या—76/Transparency//2017/PPEMS/VOL II दिनाक 03 नवबर 2023 के साथ सलग्न समसख्यक पन्न दिनाक 03 नवबर 2023 जो समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष को सम्बोधित है का अवलोकन करने का कब्द करे।

2— भारत निर्वाचन आयोग ने Association for Democratic Reforms Vs Union of India (writ petition civil no 333 of 2015 with 880 of 2017,59 of 2018 and 434 of 2018) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 02 11 2023 के कम में समस्त राजनैतिक दलों को Electoral Bonds के माध्यम से दिनाक 30 09 2023 तक प्राप्त किये गये अशदान से संबंधित विवरण आयोग के पत्र में दिये गये पते "Sh Binod Kumar, (by name) Secretary, Election Expenditure Division, Room No 321A, Third Floor, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001" पर डबल सीलबन्द लिफाफे पर "Confidential-Electoral Bond" अकित करते हुए दिनाक 15 11 2023 की साय 5-00 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

कृपया आयोग के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप वॉछित सूचना दिनाक 15 11 2023 की साय 5-00 बजे तक अनिवार्य रुप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

सलग्नक यथोक्त

(मनीप्रश्रेशुक्ल) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

साख्या— (1) / सीठई०ओ०—8. तद्दिनॉक प्रतिलिपि सचिव भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली को उनके पत्र दिनाक 03 11 2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (मनीष शुक्ल) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।